

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

Date : 7.4.2019

No : 103/NCRES/19

श्रीमान डा0 एम. राघवैया जी
महामंत्री—एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय :- CGEGIS का मासिक कटौती को सातवे वेतन आयोग की सिफारिशो के अनुसार बढ़ाना।

महोदय,


अवगत कराना है कि 1 जनवरी 1982 से लागू Central Government Employee's Group Insurance Scheme (CGEGIS) के तहत ग्रुप "सी" के कर्मचारी से 30/-रु0 प्रतिमाह की कटौती की जाती थी जिसके कारण कर्मचारी को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता था। कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखकर VII CPC ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 9.3 में कहा कि कर्मचारी मासिक कटौती की दर को बढ़ाने की मांग काफी दिनों से कर रहे हैं लेकिन 1990 से मासिक कटौती की दर को बदला नहीं गया है इसलिये कटौती की दर बढ़ाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिनांक 01.9.2013 से लागू Army Group Insurance Fund (AGIF) का उदाहरण देते हुये कहा था कि सैन्य कर्मियों का वेतन चूंकि सिविलियन कर्मचारियों से ज्यादा है इसलिये सिविलियन कर्मचारियों की मासिक कटौती उनसे थोड़ा कम रखी जाय।

कटौती का टेबल निम्न है :-

ग्रुप	कर्मचारी का पे लेवल	वर्तमान		7 th CPC की सिफारिश	
		मासिक कटौती	Insurance Amount	मासिक कटौती	Insurance Amount
A	10 एवं ज्यादा	120	120000	5000	5000000
B	6 से 9	60	60000	2500	2500000
C	1 से 5	30	30000	1500	1500000

NCRES का अनुरोध है कि कर्मचारी हित में CGEGIS की स्कीम के तहत कर्मचारी के वेतन से मासिक कटौती की दर बढ़वाने का कष्ट करे ताकि कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु/रिटायरमेन्ट पर उसे सम्मान जनक राशि मिल सके।


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री